कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

।। ज्ञापन।।

28 JUN 2024

जावक कं. 6354 उज्जैन, दिनांक –

प्रति,

समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण
जिला न्यायालय, उज्जैन
तहसील न्यायालय, महिदपुर/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना

विषय – ईप्सन डीएस 770 स्कैनर एवं Epson-1170 प्रिंटर के मैनटेनेंस के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि समस्त न्यायालयों में प्रदाय किये गये ईप्सन डीएस 770 स्कैनर का अधिकतम उपयोग करना सुनिश्चित करें, उक्त स्कैनर में दस्तावेजों को स्कैन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों में कोई आलपिन/स्टेपलर पिन न लगी हो।

साथ ही न्यायालयों में संस्थित Epson-1170 प्रिंटर को न्यायालयीन कर्मचारीगण द्वारा संचालित करते समय प्रिंटर को डायरेक्ट ही पॉवर स्विच से बंद किया जा रहा है जिससे उक्त प्रिंटर में लगे हुए मैंटेनेंस बॉक्स खराब हो रहे है।

अतः समस्त न्यायालयों एवं अनुविभागों में पदस्थ संबंधित कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि ईप्सन डीएस 770 स्कैनर का अधिकतम उपयोग किया जाकर आवश्यक सावधानी (दस्तावेजों में लगी आलपिन/स्टेपलर पिन को निकालकर) रखें तथा Epson-1170 प्रिंटर को बंद करते समय उक्त प्रिंटर में लगे ऑन/ऑफ बटन से ऑफ करें तत्पश्चात् पॉवर स्विच ऑफ करें। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें, आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

28/6/2024

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, जिला उज्जैन.

Miscellaneous